न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/42/2019

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री अवधेश यादव पुत्र बलबीरसिंह यादव, ग्राम व पोस्ट–तसींग, तहसील–बहरोड, जिला–अलवर–301701 (राज.)–301701		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि 18.06.2019

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 17.07.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 10.05.2019 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में दिनांकः 29.04.2019 को प्रस्तुत शिकायत प्रा0पत्र के संबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही बाबत सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक को आवेदन दिनांकः 10.05.2019 में वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण इस न्यायालय को प्रार्थना–पत्र दिनांकः 15.06.19 के माध्यम से प्रथम अपील प्राप्त हुई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः लोक सूचना/2019/831 दिनांकः 01.07.19 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया।
9. प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 10.05.19 के परिप्रेक्ष्य में पत्रांकः लोक सूचना/2019/577 दिनांकः 17.05.19 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
10. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने का कथन निराधार है। अपीलार्थी अपील के अनुसार कार्य को पूर्ण कराना चाहता है।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

11. लोक सूचना अधिकारी से आवेदन प्रस्तुत किए जाने की दिनांक को कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की वांछा की जा सकती है। किसी कार्य को पूर्ण कराये जाने की वांछा नहीं की जा सकती है। उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित है।

12. प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

13. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

14. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)
ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)